

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2016/आश्विन 6, 1938

No. 314]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2016/ASVINA 6, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2016

सं. 35/2015—20

विषय:- दिनांक 08.09.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 29/2015—20 और दिनांक 31.08.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 27 में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/12/एएम-17/पीसी-4.— समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. दिनांक 08.09.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 29 में, सार्वजनिक सूचना के प्रभाव के प्रथम वाक्य में उल्लिखित दिनांक 14.02.2013 को संशोधित कर दिनांक 14.02.2014 पढ़ा जाएगा।

3. “परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लिए निर्यात दायित्व अवधि” से संबंधित दिनांक 31.08.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 27 में उल्लिखित परिशिष्ट 4अ में की क्रम सं. 10 पर प्रविष्टि को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

क्र.सं.	आयात मद	सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप को प्रदान की गई स्वीकृति की तिथि से निर्यात दायित्व अवधि
10	परिधान एवं वस्त्र की अनुषंगी वस्तुओं के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम (विदेश व्यापार नीति 2015—20 का पैरा 4.04 क) के तहत अस्तर सहित कपड़े।	विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.22(i) में यथा अनुमत प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने की तिथि से (आयात की तिथि से नहीं) 18 महीने तथा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42(क), (ख), (ग) और (ङ) में यथा अनुमत आगे बढ़ाई गई अवधि तक।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:-

इन संशोधनों के द्वारा दिनांक 08.09.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 29 में और दिनांक 31.08.2016 की सार्वजनिक सूचना सं. 27 में भूलवश हुई त्रुटियों को संशोधित किया जाता है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th September, 2016

No. 35 /2015—2020

Subject: Amendments in Public Notice No. 29/2015—2020 dated 08.09.2016 and in Public Notice No. 27 dated 31.08.2016.

F. No.01/94/180/12/AM-17/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments:

2. In the Public Notice No. 29 dated 08.09.2016, the date 14.02.2013 mentioned in first sentence of the Effect of Public Notice is corrected to read as **14.02.2014**.

3. The entry at Serial No. 10 in Appendix 4J mentioned in Public Notice No. 27 dated 31.08.2016 related to “Export Obligation Period for Special Advance Authorization Scheme for export of articles of apparel and clothing accessories” is corrected to read as under :-

	Import Items	Export Obligation Period from the date of clearance of each import consignment by Customs Authority
10	Fabrics including interlining under Special Advance Authorization Scheme for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories (Para 4.04A of FTP 2015—20)	18 months as allowed in Para 4.22(i) of FTP from the date of issue of Authorisation (not from the date of import) and further extension as allowed in Para 4.42(a), (b), (c) and (e) of HBP.

4. Effect of this Public Notice:

With these amendments, inadvertent errors in Public Notice No. 29 dated 08.09.2016 and in Public Notice No. 27 dated 31.08.2016 are corrected.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade